

26 अगस्त, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-20

**कार्यकारी आदेश 2021-20**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 87)**

**जबकि**, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा जिसने 1,490,000 से अधिक लोगों को संक्रमित किया है, और 23,800 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

**जबकि**, इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health (IDPH)) ने यह पाया है कि डेल्टा पाठभेद इलिनॉय में COVID-19 का सबसे हावी प्रभेद है और इलिनॉय में सभी आयु वर्गों के ऐसे सभी लोगों में तेज़ी से फैल चुका है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं; और,

**जबकि**, कोरोनावायरस का डेल्टा पाठभेद पहले के परिसंचारी पाठभेदों की तुलना में अधिक आक्रामक और अधिक पारगम्य है, और वायरस के प्रसार को रोकने और धीमा करने के चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण नए जोखिम पैदा करता है; और,

**जबकि**, डेल्टा पाठभेद भी वायरस के पूर्व पाठभेदों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है; और,

**जबकि**, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) का अनुमान है कि डेल्टा पाठभेद अब अमेरिका में सभी अनुक्रमित कोरोनावायरस मामलों के 90 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है; और,

**जबकि**, CDC अधिकांश परिस्थितियों में, यहां तक कि पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों के लिए भी,<sup>1</sup> साथ ही जहां संघीय, राज्य, स्थानीय, आदिवासी, या क्षेत्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों द्वारा आवश्यक हो, स्थानीय व्यवसाय और कार्यस्थल सहित, सार्वजनिक रूप से भवन के अंदर मास्क पहनने की सिफारिश करते हुए मार्गदर्शन जारी किया है; और,

**जबकि**, राज्य के हर क्षेत्र में COVID-19 के मामलों की संख्या बढ़ रही है और COVID-19 रोगियों द्वारा प्रयुक्त अस्पताल बिस्तरों और ICU बिस्तरों की संख्याएं बढ़ रही हैं; और,

---

<sup>1</sup> लोगों को 2 खुराक वाली श्रृंखला जैसे फ़ाइज़र या मॉडर्ना वैक्सीन्स के मामले में अपनी दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद, या एक खुराक वाली वैक्सीन जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का जानसेन वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते बाद, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाता है। उन लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं माना जाता है जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, चाहे उनकी उम्र जो भी हो।

**जबकि**, देदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें डेल्टा पाठभेद के परिणामस्वरूप ICU बिस्तर उपलब्ध हैं, और इलिनॉय के कई हिस्सों में, डेल्टा पाठभेद के परिणामस्वरूप उपलब्ध ICU बिस्तरों की संख्या घट रही है; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देना जारी रखे हुए है कि कपड़े के फेस कवरींग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

**जबकि**, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

**जबकि**, पिछले माह में 5 से 11 वर्षीय बच्चों और 12 से 17 वर्षीय बच्चों में COVID-19 के मामलों में नाटकीय वृद्धि हुई है; और,

**जबकि**, CDC ने COVID-19 वैश्विक-महामारी का अंत करने के लिए टीकाकरण को अग्रणी जन स्वास्थ्य रोकथाम रणनीति की मान्यता दी है और यह अनुशंसा की है कि सभी अध्यापकों, स्टाफ़ और पात्र विद्यार्थियों को जल्द-से-जल्द टीका लगा दिया जाए; और,

COVID-19 टीके सुरक्षित, प्रभावी और व्यापक रूप से 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के किसी भी इलिनॉय निवासी के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं;

**जबकि**, हालांकि इलिनॉय के 67 लाख से अधिक निवासियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, पर डेल्टा प्रभेद के तेज़ प्रसार के विरुद्ध सुरक्षा देने के उद्देश्य से, यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम आवश्यक हैं कि टीका लगवा चुके निवासियों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे और उसमें कुछ चिंताजनक स्थानों में कार्य कर रहे व्यक्ति शामिल हों, इनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आस-पास कार्य करते हैं; और,

**जबकि**, स्कूलों में टीकाकरण की दर को बढ़ाना COVID-19 के विरुद्ध संरक्षण का सबसे शक्तिशाली उपलब्ध उपाय है, जिसके साथ-साथ मास्क पहनना और नियमित परीक्षण, अधिकतम संभव सुरक्षित ढंग से आमने-सामने का अनुदेशन प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है; और,

**जबकि**, स्वास्थ्य देखभाल कर्मी, और विशेष रूप से वे कर्मी जो प्रत्यक्ष रोगी देखभाल में संलग्न हैं, COVID-19 से संपर्क के अधिक जोखिम का सामना करते हैं; और,

**जबकि**, स्वास्थ्य देखभाल के स्थानों में COVID-19 के प्रसार को रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से कई स्थानों में लोगों की संख्या संकेंद्रित होती है और यहां अंतस्थ स्थितियों या कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोग भी होते हैं; और,

**जबकि**, स्वास्थ्य देखभाल के स्थानों के लोगों के लिए COVID-19 टीका लगवाना या नियमित परीक्षण करवाना आवश्यक करने से प्रकोपों की रोकथाम करने और कमज़ोर व्यक्तियों, जो गंभीर रोग के अधिक जोखिम में हो सकते हैं, में संचार घटाने में मदद मिल सकती है; और,

**जबकि**, अधिक जोखिम वाले स्वास्थ्य देखभाल स्थानों में विशेष रूप से कमज़ोर लोगों, और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्यव्यापी उपाय आवश्यक हैं; और,

**जबकि**, हर नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह एक स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य परिवेश स्थापित करके एवं बनाए रख कर, और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य व सुरक्षा उपायों का अनुपालन आवश्यक करके, कर्मचारियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का संरक्षण करे; और,

**जबकि**, COVID-19 के निरंतर प्रसार, डेल्टा पाठभेद के बढ़ते खतरे, और आबादी का महत्वपूर्ण प्रतिशत जो बिना टीकाकरण के रहता है, के आलोक में, मैंने 20 अगस्त, 2021 को घोषित किया कि इलिनॉय में COVID-19 के प्रसार के कारण वर्तमान परिस्थितियां इलिनॉय आपातकाल मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट (Illinois Emergency Management Agency Act) की धारा 4 के तहत एक महामारी और लोक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न करना जारी रखती हैं; और,

**अतएव**, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS

3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(12) और धारा 19, के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं एतद्वारा निम्नलिखित को तत्काल प्रभावी करने का आदेश देता हूँ

**अनुभाग 1: व्यक्तियों के लिए फेस कवरिंग संबंधी आवश्यकताएं।** सोमवार, 30 अगस्त, 2021 से, इलिनॉय में सभी व्यक्ति को, जो दो वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और चिकित्सकीय रूप से चेहरे को ढंकने में सक्षम हैं (एक मास्क या कपड़े की फेस कवरिंग से) भवनों के अंदर सार्वजनिक स्थान पर अपनी नाक और मुंह को एक फेस कवरिंग से ढंकना होगा। इलिनॉय वासियों को भीड़-भाड़ वाले बाहरी स्थानों में और ऐसी गतिविधियों में मास्क भी पहनने पर विचार करना चाहिए जिनमें ऐसे अन्य लोगों से निकट संपर्क शामिल है जिनका पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है।

सक्रिय रूप से खाते या पीते समय (बार या रेस्त्रां में खान-पान शामिल) फेस कवर अस्थायी रूप से हटाए जा सकते हैं, और कार्यस्थलों पर यदि कर्मि छः फ्रीट की दूरी निरंतर बनाए रख सकते हों (जैसे कि तब जब वे अपने ऑफिस या क्यूबिकल स्पेस में हों) तो वे भी फेस कवर हटा सकते हैं।

पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके लोगों सहित, सभी लोगों को एक फेस कवरिंग पहनना जारी रखने की आवश्यकता होगी (1) विमानों, बसों, ट्रेनों और किसी अन्य प्रकार की सरकारी गाड़ियों में और परिवहन केन्द्रों में जैसे हवाई अड्डों और ट्रेन और बस स्टेशनों पर; (2) सामूहिक सुविधा केन्द्रों जैसे सुधार केन्द्रों और बेघर आश्रयों में; और (3) स्वास्थ्य देखभाल ठिकानों में।

## **अनुभाग 2: स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए टीकाकरण आवश्यकताएँ।**

### a. परिभाषाएँ

- i. "स्वास्थ्य देखभाल कर्मि" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो (1) किसी स्वास्थ्य देखभाल इकाई द्वारा नियुक्त है, उसके लिए स्वयंसेवा करता है, या उसे सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित है, या जो किसी ऐसी कंपनी/संस्था/इकाई द्वारा नियुक्त है जो किसी स्वास्थ्य देखभाल इकाई को सेवाएं प्रदान करती है, और (2) जो, स्वास्थ्य देखभाल इकाई द्वारा निर्धारित के अनुसार, नियमित आधार पर, सप्ताह में कम-से-कम एक बार 15 मिनट से अधिक समय के लिए इकाई के अन्य व्यक्तियों के निकट संपर्क (6 फ्रीट से कम) में आता है। "स्वास्थ्य देखभाल कर्मि" शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली इकाई के द्वारा नियुक्त है, उसके लिए स्वयंसेवा करता है, या उसे सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित है। "स्वास्थ्य देखभाल कर्मि" शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति भी शामिल नहीं है जो स्वास्थ्य देखभाल इकाई में केवल थोड़े ही समय के लिए उपस्थित है और स्थल पर दूसरों से समीपता वाली उसकी गतिविधियां क्षणिक हैं (उदा. किसी स्थल पर डिलीवरी करने वाले ठेकेदार, जहां वे दूसरों से शारीरिक दूरी पर रहते हैं या किसी शिपमेंट को ले जाने के लिए स्थल में बहुत कम समय के लिए प्रवेश करते हैं)।
- ii. "स्वास्थ्य देखभाल इकाई" का अर्थ ऐसे किसी भी सार्वजनिक या निजी (चाहे लाभ के लिए हो या अलाभ हो) संस्थान, भवन, या एजेंसी, या किसी संस्थान, भवन अथवा एजेंसी के अंश से है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सीय उपचार या नर्सिंग, या पुनर्वास अथवा निरोधक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रयोग, संचालित या डिज़ाइन किया जाता है। इसमें एम्बुलेटरी (सचल) सर्जिकल उपचार केंद्र, होस्पिटल (असाध्य रोग देखभाल आश्रम), चिकित्सकों के कार्यालय (क्लीनिक), दंत चिकित्सकों के कार्यालय (क्लीनिक), स्वतंत्र आपातकालीन केंद्र, अर्जेंट देखभाल इकाइयां, प्रसव केंद्र, सर्जरी-पश्चात स्वास्थ्य-लाभ देखभाल इकाइयां, अंत-चरण गुर्दा रोग इकाइयां, दीर्घकालिक देखभाल इकाइयां (नर्सिंग होम देखभाल अधिनियम, ID/DD सामुदायिक देखभाल अधिनियम, या MC/DD अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कुशल और मध्यवर्ती दीर्घकालिक देखभाल इकाइयां शामिल), विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास इकाइयां, सहायित जीवन-यापन (असिस्टेड लिविंग) इकाइयां, सहयोगी जीवन-यापन इकाइयां, चिकित्सीय सहायता इकाइयां, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, बहिरोगी इकाइयां, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, पुनर्वास इकाइयां, आवासीय उपचार इकाइयां, और वयस्क दिवसीय

देखभाल केंद्र शामिल हैं, पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। “स्वास्थ्य देखभाल इकाई” शब्द में राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली कोई भी इकाई शामिल नहीं है।

- iii. अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA) द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित COVID-19 टीके की दो खुराकों की श्रृंखला में दूसरी खुराक प्राप्त करने के दो सप्ताह बाद, या FDA द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित एकल-खुराक COVID-19 टीका लगवाने के दो सप्ताह बाद, व्यक्ति को “COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण प्राप्त” माना जाता है।
- b. सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को, न्यूनतम तौर पर, इस सरकारी आदेश के जारी किए जाने के 10 दिनों के अंदर दो खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन श्रृंखला या एकल खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी होनी चाहिए, और दो-खुराक वाली टीकाकरण श्रृंखला में उन्हें पहली खुराक लगाए जाने के 30 दिनों के अंदर उनका COVID-19 के विरुद्ध टीकाकरण पूर्ण हो जाना चाहिए। जिस भी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों ने यह सिद्ध न किया हो कि COVID-19 के विरुद्ध उसका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उसका उप-अनुभाग (d) की आवश्यकताओं के अनुरूप परीक्षण किया जाना चाहिए। यह सिद्ध करने के लिए कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण स्वास्थ्य देखभाल इकाई को प्रदान करना होगा। इनमें से किसी भी दस्तावेज़ को COVID-19 टीकाकरण के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: (1) CDC COVID-19 टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड या कार्ड का फोटोग्राफ; (2) किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की ओर से टीकाकरण का दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड; या (3) राज्य के प्रतिरक्षीकरण (इम्युनाइज़ेशन) रिकॉर्ड।
- c. स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां ऐसे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों जिनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, को तब तक परिसर से वर्जित रखेंगी जब तक वे उप-अनुभाग (d) में निर्दिष्ट परीक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन न करें।
- d. इस सरकारी आदेश के जारी किए जाने के 10 दिन बाद से शुरू करते हुए, किसी स्वास्थ्य देखभाल इकाई में प्रवेश करने या वहां अथवा उसके लिए कार्य करने के लिए, जिन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार COVID-19 परीक्षण से तब तक गुजरना होगा जब तक वे यह सिद्ध न कर दें कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो गया है:
  - i. जिन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सप्ताह में कम-से-कम एक बार COVID-19 का परीक्षण करवाना होगा। परीक्षण किसी ऐसे परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास या तो FDA की ओर से आपातकालीन उपयोग का प्राधिकरण हो, या फिर जो अमेरिकी मेडिकेयर (Medicare) एवं मेडिकएड (Medicaid) सेवाएं केंद्रों द्वारा जारी प्रयोगशाला विकसित परीक्षण आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाता हो।
  - ii. जिन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए उक्त परीक्षण स्वास्थ्य देखभाल इकाई के अंदर ही संचालित होना चाहिए या फिर स्वास्थ्य देखभाल इकाई को स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों से कहीं और से प्राप्त निगेटिव परीक्षण परिणाम का प्रमाण या की पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए।
  - iii. IDPH अनुशंसा करता है कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का परीक्षण, यदि उपलब्ध हो तो PCR परीक्षण द्वारा किया जाए।
- e. व्यक्तियों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता से छूट रहेगी यदि (1) टीकाकरण चिकित्सीय दृष्टि से निषिद्ध है, इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो अशक्त अमेरिकी अधिनियम के या किसी अशक्तता-संबंधी उचित समायोजन पर लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी समायोजन के पात्र हैं, या (2) टीकाकरण के लिए व्यक्ति को किसी निष्ठापूर्वक धारित धार्मिक विश्वास, प्रथा, या संस्कार/रीति-रिवाज का उल्लंघन करना पड़े या

त्यागना पड़े। जो व्यक्ति यह दर्शाते हैं कि उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, वे, न्यूनतम तौर पर, उप-अनुभाग (d) में प्रावधानित के अनुसार, साप्ताहिक परीक्षण से गुजरेंगे।

- f. राज्य की एजेंसियां, जिनमें IDPH, इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) और इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थकेयर एंड फ़ेमिली सर्विसेज़) शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, इस सरकारी आदेश को प्रभावी करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार आपातकालीन नियम घोषित कर सकती हैं।

### **अनुभाग 3: स्कूल कर्मियों के लिए टीकाकरण आवश्यकताएँ।**

a. परिभाषाएँ

- i. “स्कूल कार्मिक” का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो (1) प्री-किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सेवाएं देने वाले किसी स्कूल या स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा नियुक्त है, उसके लिए स्वयंसेवा करता है, या उसे सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित है, या जो किसी स्कूल, स्कूल डिस्ट्रिक्ट या किसी स्कूल के विद्यार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किसी कंपनी/संस्था/इकाई द्वारा नियुक्त है, और (2) जो स्कूल द्वारा निर्धारित के अनुसार, नियमित आधार पर, सप्ताह में कम-से-कम एक बार 15 मिनट से अधिक समय के लिए स्कूल के अन्य व्यक्तियों के निकट संपर्क (6 फ़ीट से कम) में आता है। “स्कूल कार्मिक” शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो स्कूल में केवल थोड़े ही समय के लिए उपस्थित है और स्थल पर दूसरों से समीपता वाली उसकी गतिविधियां क्षणिक हैं (उदा. किसी स्थल पर डिलीवरी करने वाले ठेकेदार, जहां वे दूसरों से शारीरिक दूरी पर रहते हैं या किसी शिपमेंट को ले जाने के लिए स्थल में बहुत कम समय के लिए प्रवेश करते हैं)।
- ii. “स्कूल” का अर्थ किसी भी सार्वजनिक या असावर्जनिक प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल से है जिसमें चार्टर स्कूल शामिल हैं और जो प्री-किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सेवाएं देता है, इसमें राज्य द्वारा संचालित कोई भी आवासीय स्कूल भी शामिल है, जैसे फिलिप जे. रॉक सेंटर एंड स्कूल, इलिनॉय दृष्टिबाधित स्कूल (Illinois School for the Visually Impaired), इलिनॉय बधिर स्कूल (School for the Deaf) और इलिनॉय गणित एवं विज्ञान अकादमी (Illinois Mathematics and Science Academy)। शब्द “स्कूल” में इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (Illinois Department of Juvenile Justice) शामिल नहीं है।
- iii. UFDA द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित COVID-19 टीके की दो खुराकों की श्रृंखला में दूसरी खुराक प्राप्त करने के दो सप्ताह बाद, या FDA द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित एकल-खुराक COVID-19 टीका लगवाने के दो सप्ताह बाद, व्यक्ति को “COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण प्राप्त” माना जाता है।
- b. सभी स्कूल कर्मियों को, न्यूनतम तौर पर, इस सरकारी आदेश के जारी किए जाने के 10 दिनों के अंदर दो खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन श्रृंखला या एकल खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी होनी चाहिए, और दो-खुराक वाली टीकाकरण श्रृंखला में उन्हें पहली खुराक लगाए जाने के 30 दिनों के अंदर उनका COVID-19 के विरुद्ध टीकाकरण पूर्ण हो जाना चाहिए। जिस भी स्कूल कार्मिक ने यह सिद्ध न किया हो कि COVID-19 के विरुद्ध उसका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उसका उप-अनुभाग (d) की आवश्यकताओं के अनुरूप परीक्षण किया जाना चाहिए। यह सिद्ध करने के लिए कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, स्कूल कार्मिकों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण स्कूल को प्रदान करना होगा। इनमें से किसी भी दस्तावेज़ को COVID-19 टीकाकरण के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: (1) CDC COVID-19 टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड या कार्ड का

- फोटोग्राफ; (2) किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की ओर से टीकाकरण का दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड; या (3) राज्य के प्रतिरक्षीकरण (इम्यूनाइज़ेशन) रिकॉर्ड।
- c. स्कूल ऐसे स्कूल कार्मिकों जिनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, को तब तक परिसर से वर्जित रखेंगे जब तक वे उप-अनुभाग (d) में निर्दिष्ट परीक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन न करें।
- d. इस सरकारी आदेश के जारी किए जाने के 10 दिन बाद से शुरू करते हुए, किसी स्कूल में प्रवेश करने या वहां अथवा उसके लिए कार्य करने के लिए, जिन स्कूल कार्मिकों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार COVID-19 परीक्षण से तब तक गुजरना होगा जब तक वे यह सिद्ध न कर दें कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो गया है:
- जिन स्कूल कार्मिकों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सप्ताह में कम-से-कम एक बार COVID-19 का परीक्षण करवाना होगा। परीक्षण किसी ऐसे परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास या तो FDA की ओर से आपातकालीन उपयोग का प्राधिकरण हो, या फिर जो अमेरिकी मेडिकेयर (Medicare) एवं मेडिकएड (Medicaid) सेवाएं केंद्रों द्वारा जारी प्रयोगशाला विकसित परीक्षण आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाता हो।
  - जिन स्कूल कार्मिकों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए उक्त परीक्षण स्कूल के अंदर ही संचालित होना चाहिए या फिर स्कूल को स्कूल कार्मिक से कहीं और से प्राप्त निगेटिव परीक्षण परिणाम का प्रमाण या की पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए।
  - IDPH अनुशंसा करता है कि स्कूल कार्मिकों का परीक्षण, यदि उपलब्ध हो तो PCR परीक्षण द्वारा किया जाए।
- e. व्यक्तियों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता से छूट रहेगी यदि (1) टीकाकरण चिकित्सीय दृष्टि से निषिद्ध है, इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो अशक्त अमेरिकी अधिनियम के या किसी अशक्तता-संबंधी उचित समायोजन पर लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी समायोजन के पात्र हैं, या (2) टीकाकरण के लिए व्यक्ति को किसी निष्ठापूर्वक धारित धार्मिक विश्वास, प्रथा, या संस्कार/रीति-रिवाज का उल्लंघन करना पड़े या त्यागना पड़े। जो व्यक्ति यह दर्शाते हैं कि उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, वे, न्यूनतम तौर पर, उप-अनुभाग (d) में प्रावधानित के अनुसार, साप्ताहिक परीक्षण से गुजरेंगे।
- f. राज्य एजेंसियां, जिनमें IDPH और इलिनॉय स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन (Illinois State Board of Education) शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, इस कार्यकारी आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक आपातकालीन नियमों को लागू कर सकती हैं।

#### **अनुभाग 4: उच्च शिक्षा के लिए टीकाकरण आवश्यकताएँ।**

- a. परिभाषाएँ
- “उच्चतर शिक्षा कार्मिक” का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो (1) किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त है, उसके लिए स्वयंसेवा करता है, या उसे सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित है, या जो किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किसी कंपनी/संस्था/इकाई द्वारा नियुक्त है, और (2) जो नियमित आधार पर, सप्ताह में कम-से-कम एक बार 15 मिनट से अधिक समय के लिए परिसर में या परिसर से संबद्ध भवन या स्थान में मौजूद व्यक्तियों के निकट संपर्क (6 फ़ीट से कम) में आता है। “उच्चतर शिक्षा कार्मिक” शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो परिसर में या किसी संबद्ध परिसर-से-बाहर के स्थान में केवल थोड़े ही समय के लिए उपस्थित है और स्थल पर दूसरों से समीपता वाली उसकी गतिविधियां क्षणिक हैं (उदा. किसी स्थल पर डिलीवरी करने वाले ठेकेदार, जहां वे दूसरों से शारीरिक दूरी पर रहते हैं या किसी शिपमेंट को ले जाने के लिए स्थल में बहुत कम समय के लिए प्रवेश करते हैं)।

- ii. “उच्चतर शिक्षा संस्थान” का अर्थ ऐसे किसी भी सार्वजनिक (सरकारी) या निजी रूप से संचालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय (कॉलेज), सामुदायिक कॉलेज, जूनियर कॉलेज, व्यापारिक, तकनीकी या व्यावसायिक स्कूल, या अन्य शिक्षण संस्थान से है जो माध्यमिक स्कूल स्तर से ऊपर की डिग्रियां, प्रोग्राम या अनुदेशन प्रदान करता है।
  - iii. “उच्चतर शिक्षा विद्यार्थी” का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान में, परिसर में या किसी संबद्ध परिसर-से-बाहर के स्थान में, किसी क्रेडिट-धारी या गैर-क्रेडिट-धारी अध्ययनकालीन कार्य में नामांकित है। “उच्चतर शिक्षा विद्यार्थी” में ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो अपना अध्ययनकालीन कार्य सिर्फ और सिर्फ दूरस्थ ढंग से (यानि संस्थान में आए बिना) ही पूरा करते हैं।
  - iv. FDA द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित COVID-19 टीके की दो खुराकों की श्रृंखला में दूसरी खुराक प्राप्त करने के दो सप्ताह बाद, या FDA द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित एकल-खुराक COVID-19 टीका लगवाने के दो सप्ताह बाद, व्यक्ति को “COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण प्राप्त” माना जाता है।
- b. सभी उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों को, न्यूनतम तौर पर, इस सरकारी आदेश के जारी किए जाने के 10 दिनों के अंदर दो खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन श्रृंखला या एकल खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी होनी चाहिए, और दो-खुराक वाली टीकाकरण श्रृंखला में उन्हें पहली खुराक लगाए जाने के 30 दिनों के अंदर उनका COVID-19 के विरुद्ध टीकाकरण पूर्ण हो जाना चाहिए। जिस भी उच्चतर शिक्षा कार्मिक या उच्चतर शिक्षा विद्यार्थी ने यह सिद्ध न किया हो कि COVID-19 के विरुद्ध उसका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उसका उप-अनुभाग (d) की आवश्यकताओं के अनुरूप परीक्षण किया जाना चाहिए। यह सिद्ध करने के लिए कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण उच्चतर शिक्षा संस्थान को प्रदान करना होगा। इनमें से किसी भी दस्तावेज़ को COVID-19 टीकाकरण के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: (1) CDC COVID-19 टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड या कार्ड का फोटोग्राफ; (2) किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की ओर से टीकाकरण का दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड; या (3) राज्य के प्रतिरक्षीकरण (इम्युनाइज़ेशन) रिकॉर्ड।
- c. उच्चतर शिक्षा संस्थान ऐसे उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों जिनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, को तब तक परिसर से वर्जित रखेंगे जब तक वे उप-अनुभाग (d) में निर्दिष्ट परीक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन न करें।
- d. इस सरकारी आदेश के जारी किए जाने के 10 दिन बाद से शुरू करते हुए, किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने या वहां अथवा उसके लिए कार्य करने के लिए, जिन उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार COVID-19 परीक्षण से तब तक गुजरना होगा जब तक वे यह सिद्ध न कर दें कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो गया है:
- i. जिन उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सप्ताह में कम-से-कम एक बार COVID-19 का परीक्षण करवाना होगा। परीक्षण किसी ऐसे परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास या तो FDA की ओर से आपातकालीन उपयोग का प्राधिकरण हो, या फिर जो अमेरिकी मेडिकेयर (Medicare) एवं मेडिकैड (Medicaid) सेवाएं केंद्रों द्वारा जारी प्रयोगशाला विकसित परीक्षण आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाता हो।
  - ii. जिन उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उनके लिए उक्त परीक्षण उच्चतर शिक्षा संस्थान के अंदर ही संचालित होना चाहिए या फिर उच्चतर शिक्षा संस्थान को

उस उच्चतर शिक्षा कार्मिक या उच्चतर शिक्षा विद्यार्थी जिसका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, से कहीं और से प्राप्त निगेटिव परीक्षण परिणाम का प्रमाण या की पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए।

- iii. IDPH अनुशंसा करता है कि उच्चतर शिक्षा कार्मिकों और उच्चतर शिक्षा विद्यार्थियों का परीक्षण, यदि उपलब्ध हो तो PCR परीक्षण द्वारा किया जाए।
- e. व्यक्तियों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता से छूट रहेगी यदि (1) टीकाकरण चिकित्सीय दृष्टि से निषिद्ध है, इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो अशक्त अमेरिकी अधिनियम के या किसी अशक्तता-संबंधी उचित समायोजन पर लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी समायोजन के पात्र हैं, या (2) टीकाकरण के लिए व्यक्ति को किसी निष्ठापूर्वक धारित धार्मिक विश्वास, प्रथा, या संस्कार/रीति-रिवाज का उल्लंघन करना पड़े या त्यागना पड़े। जो व्यक्ति यह दर्शाते हैं कि उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, वे, न्यूनतम तौर पर, उप-अनुभाग (d) में प्रावधानित के अनुसार, साप्ताहिक परीक्षण से गुजरेंगे।
- f. IDPH, इलिनॉय कम्युनिटी कॉलेज बोर्ड (Illinois Community College Board), और इलिनॉय बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन (Illinois Board of Higher Education) समेत राज्य एजेंसियां, इस कार्यकारी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक आपातकालीन नियमों को लागू कर सकती हैं।

### **अनुभाग 5: राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली एकत्र इकाइयों में टीकाकरण संबंधी आवश्यकताएं।**

- a. परिभाषाएँ
  - i. "राज्य के स्वामित्व वाली या संचालित सामूहिक सुविधाएं" का अर्थ इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन्स और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस द्वारा संचालित सामूहिक सुविधाएं हैं।
  - ii. U.S. FDA द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित COVID-19 टीके की दो खुराकों की शृंखला में दूसरी खुराक प्राप्त करने के दो सप्ताह बाद, या FDA द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित एकल-खुराक COVID-19 टीका लगवाने के दो सप्ताह बाद, व्यक्ति को "COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण प्राप्त" माना जाता है।
- b. राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली सभी एकत्र (कांग्रेगेट) इकाइयों के सभी राज्य कर्मचारियों को, मोलभाव के अधीन, 4 अक्टूबर, 2021 तक, दो-खुराक वाली COVID-19 टीका शृंखला की दोनों खुराकें, या एकल-खुराक COVID-19 टीका लग जाना चाहिए।
- c. राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली सभी एकत्र (कांग्रेगेट) इकाइयों में कार्य करने वाले सभी ठेकेदारों और वेंडरों को 4 अक्टूबर, 2021 तक दो खुराक वाली COVID-19 टीका शृंखला की दोनों खुराकें, या एकल-खुराक COVID-19 टीका लग जाना चाहिए। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली एकत्र (कांग्रेगेट) इकाई द्वारा निर्धारित के अनुसार, इकाई में केवल थोड़े ही समय के लिए उपस्थित है और स्थल पर दूसरों से समीपता वाली उसकी गतिविधियां क्षणिक हैं (उदा. किसी स्थल पर डिलीवरी करने वाले ठेकेदार, जहां वे दूसरों से शारीरिक दूरी पर रहते हैं या किसी शिपमेंट को ले जाने के लिए स्थल में बहुत कम समय के लिए प्रवेश करते हैं)।
- d. COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण करवाने की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली एकत्र (कांग्रेगेट) इकाइयों के राज्य कर्मचारियों, ठेकेदारों और वेंडरों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण, राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली एकत्र (कांग्रेगेट) इकाई को प्रदान करना होगा। इनमें से किसी भी दस्तावेज़ को COVID-19 टीकाकरण के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: (1) CDC COVID-19 टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड या कार्ड का फोटोग्राफ; (2) किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की ओर से टीकाकरण का दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड; या (3) राज्य के प्रतिरक्षीकरण (इम्युनाइज़ेशन) रिकॉर्ड।

- e. व्यक्तियों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता से छूट रहेगी यदि (1) टीकाकरण चिकित्सीय दृष्टि से निषिद्ध है, इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो अशक्त अमेरिकी अधिनियम के या किसी अशक्तता-संबंधी उचित समायोजन पर लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी समायोजन के पात्र हैं, या (2) टीकाकरण के लिए व्यक्ति को किसी निष्ठापूर्वक धारित धार्मिक विश्वास, प्रथा, या संस्कार/रीति-रिवाज का उल्लंघन करना पड़े या त्यागना पड़े। ऐसे व्यक्ति जो दर्शाते हैं कि वे छूट की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, वे अतिरिक्त परीक्षण आवश्यकताओं के अधीन होंगे।
- f. इलिनॉय केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज़) की श्रमिक संबंध टीम (लेबर रिलेशंस टीम) को संबंधित श्रमिक संघों के साथ बातचीत करके इस सरकारी आदेश को प्रभावी करने का, और कानून के अंतर्गत जैसे उपयुक्त हो वैसे इन उपबंधों पर मोलभाव करने का निर्देश दिया गया है।

### **अनुभाग 6: अतिरिक्त टीकाकरण एवं परीक्षण आवश्यकताएं।**

- a. इस सरकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी कंपनी/संस्था/इकाई को कार्मिकों, ठेकेदारों, विद्यार्थियों या अन्य आगंतुकों के लिए टीकाकरण या परीक्षण की ऐसी आवश्यकताएं लागू करने से रोकता हो जो इस सरकारी आदेश की आवश्यकताओं से अधिक हैं/अधिक सख्त हैं।
- b. IDPH और इलिनॉय राज्य शिक्षा परिषद (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) इकाइयों के लिए इस सरकारी आदेश द्वारा आवश्यक किए गए से अधिक बार परीक्षण संचालित करना आवश्यक करने के लिए आपातकालीन नियम अंगीकार कर सकते हैं, और इस सरकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च संचार वाले क्षेत्रों में या किसी प्रकोप का सामना कर रही इकाइयों में अधिक बार परीक्षण लागू करने के लिए किसी IDPH प्रोटोकॉल पर अधिभावी होने या उसका स्थान लेने हेतु उद्दिष्ट हो।
- c. सभी संस्थाओं/इकाइयों/कंपनियों को COVID-19 का प्रसार घटाने के लिए मज़बूत टीकाकरण एवं परीक्षण कार्यक्रम लागू करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

**अनुभाग 7:** व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

**अनुभाग 8: पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश।** यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को उलट देता है। जो भी प्रावधान इस कार्यकारी आदेश के विपरीत नहीं हैं वे पूरी तरह से लागू रहेंगे।

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल**

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 26 अगस्त, 2021 को जारी  
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 26 अगस्त, 2021 को दायर